प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, भीलवाडा–द्वितीय, थाना . सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023
   प्र. ई. रि. स. 184/2023 दिनांक 13/7/23
   (अ) अधिनियम. **भ्र. नि. अधिनियम 1988** धारायें.. **13 (1) (डी) 13 (2) पी सी एक्ट 1988**
   (ब) अधिनियम.. **भा.द.स.** . धारायें.. **467,468,471 व 120 बी भा.द.स.**
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 180 समय 5:30 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक – वर्ष 12.07.2017 समय. ––––
   (स) थाना / चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 30.10.2018 समय. ––
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – पश्चिम – करीबन 10 किलोमीटर.....
   (ब) पता – ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा।
   बीट सख्या .....जरायमदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्रीमती चान्दी गाडरी**
   (ब) पिता का नाम.... **श्री नारायण लाल गाडरी**
   (स) जन्म तिथि / वर्ष .....55 **वर्ष.**
   (द) राष्ट्रीयता..... भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ––
   (ल) पता– **ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा**
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1 श्री छोटू लाल जाट पुत्र श्री कालू राम जाट निवासी पासंल तहसील व जिला भीलवाड़ा तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा।
   2 श्री पूरण सिंह चौहान पुत्र श्री शम्भू सिंह चौहान उम्र 52 साल निवासी 3–एफ–23 पटेल नगर भीलवाड़ा तत्कालिन कार्यवाहक सचिव ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा
   3 श्रीमती टीना देवी जाट (लाभार्थी)
   4 अन्य
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही ...
   चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

9. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या
(अगर हो तो)...

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय,

वाक्यिाति मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार निवेदन है कि प्रार्थीया श्रीमती चान्दी पुत्री श्री नारायण गाडरी उम्र 55 साल निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा ने एक शिकायत इस कार्यालय में इस आशय की प्रेषित की कि आवासीय जायदाद पर पुस्तैनी पट्टा जारी होने के बावजुद भी ग्राम पंचायत के सरंपच छोटू लाल जाट एवं ग्राम पंचायत के सचिव पूरण सिंह दरोगा द्वारा एक अवैध गिरोह बनाकर के ग्राम पंचायत की समस्त आबादी भूमि एवं उसके आसपास की सरकारी भूमि जो कि काफी बेशकीमती होकर के सरकारी जमीन है। जिस पर संरपच छोटू लाल जाट एवं पूरण सिंह दरोगा ने एक अवैध गिरोह बनाकर के संरपच छोटू लाल जाट द्वारा अपना पर्सनल सचिव बरदीचन्द शर्मा को बना रखा है। जो ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके लोगो के नाम पर बिना मिसल कायम किये ही वार्डपंचो के खाली पत्रावलियों पर हस्ताक्षर कराकर व डरा धमका कर नाजायज रूप से लोगो से पैसा लेकर के अवैध व फर्जी पट्टे जारी किये जा रहे है व ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी रिकार्ड व मौका को देखे ही तालाब की पेठे में व युआईटी की जमीन पर लोगो को अवैध रूप से अतिकमण कराकर फर्जी पट्टे दिये जा रहे है व नाड़ी नाले पर भी लोगो को पट्टे जारी किये जा रहे है व इतना ही नही संरपच न तब तो हद ही कर जब संरपच ने अपनी पत्नी के नाम पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके सरकारी बिलानाम पाल भूमि जो कि तालाब के रूप में उपयोग में आती है जिस पर भी संरपच छोटू लाल जाट द्वारा अवैध व फर्जी तरीके से पत्रावली कायम किये बिना ही अपनी पत्नी के नाम पर फर्जी पट्टे बना लिया व उक्त पट्टे के आधार उक्त जमीन को लाखो रूपये में विकय करने व लोगो से अवैध रूप से पैसा ऐठ रहा है। उक्त शिकायत एसीबी मुख्यालय जयपुर भिजवाई गई जिस परिवाद संख्या 532/2018 दिनांक 30.10.2018 दर्ज होकर सत्यापन हेतु प्राप्त हुआ। दौराने सत्यापन परिवाद में अंकित आरोप के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत पासंल से जारी किये गये पट्टे की प्रमाणित फोटो प्रतियां, पट्टो की मिशल पत्रावलियां, रोकडबही, जमाबन्दी की नकल, ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टो के सम्बन्ध में तकनीकि कमेटी का गठन किया जाकर तकनीकि रिपोर्ट प्राप्त की गई। सम्बन्धित गवाहान को तलब कर बयान लिये गये। परिवाद में अकित आरोपो के सम्बन्ध में जाँच की गई तो पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र कमांक 1357 दिनांक 11.11.2020 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा को तकनिकी कमेटी का गठन करने हेतु पत्र जारी किया गया, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा के पत्र कमांक जिपभी/पंचा/01/2018/2231 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा तीन सदस्यो की कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी में कुछ सदस्यो का स्थानान्तरण हो जाने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा के पत्र कमांक जिपभी/पंचा/01/2018/2373 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा तीन सदस्यो की नई कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत पासंल द्वारा श्रीमति टीना पत्नी श्री छोटू लाल जाट के नाम से जारी किये गये पट्टा संख्या 26 दिनांक 12.07.2017 की जॉच की गई। उक्त पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज ग्राम पंचायत पासंल द्वारा उपलब्ध करवाये गये। जिनकी जॉच में एवं हल्का पटवारी पांसल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी नकल की जॉच करने पर पाया गया कि श्रीमती टीना देवी को पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया। पटवारी की जमाबन्दी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि बिलानाम गैर काबिल कास्त है तथा कास्तकार का नाम राज्य सरकार लिखा हुआ है। खसरा संख्या 1364/1 रकबा 2.11 भूमि वर्गिकरण गैर मु. आबादी व खसरा संख्या 1364/2 रकबा 4.04 भूमि वर्गिकरण गैर मु. आबादी का अंकन है। उक्त भूमि का ग्राम पंचायत पांसल के नाम आबादी भूमि का अंकन नही है। पंचायत राज

अधिनियम 1996 के नियम 157(1) जारी पट्टा कार्यवाही में नियत नियमो की पालना नही कर पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गई। कमेटी द्वारा उक्त पट्टे की जॉच की गई तो पाया गया कि श्रीमती टीना देवी जाट ने आवेदन किया तब आवेदन शुल्क 20 रूपये, मौका निरीक्षण शुल्क 50 रूपये, नक्शा शुल्क राशि 50 रूपये कुल 120/– रूपये पंचायत कोष में जमा नही कराये गये। इसके अलावा उक्त पट्टा पत्रावली में ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये निर्णय में 200 रूपये पंचायत कोष में राशि जमा करने का निर्णय पारीत किया गया परन्तु उक्त निर्णय में 200 रूपये शुल्क को कांट–छांट कर निशुल्क कर दिया गया। इसके अलावा कमेटी द्वारा जॉच करने पर पाया गया कि उक्त पट्टे में ग्राम पंचायत की रसीद संख्या 58 राशि 200/– रूपये दिनांक 12.07.2017 का अंकन किया होना पाया गया जिस पर रोकड़बही में रसीद संख्या 58 दिनांक 12.07.2017 का अवलोकन किया गया तो उक्त रसीद श्रीमति कांता देवी पत्नी मनोहर सुवालका का नाम अंकन होना पाया गया। इस प्रकार उक्त पट्टे पर रसीद संख्या 58 का फर्जी अंकन किया गया। कमेटी ने जॉच करने पर पाया कि नियमानुसार कोई भी सरपंच अपने पद पर रहते हुए स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को पंचायत द्वारा आर्थिक लाभ नही दे सकता है। सरपंच एवं सचिव द्वारा उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जारी करना जॉच से पाया। इस प्रकार सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नियम निरूद्ध अपनी पत्नी के नाम पर फर्जी पट्टा जारी करना पाया गया।

जॉच से पाया गया कि ग्राम पंचायत पांसल द्वारा श्रीमति टीना पत्नी श्री छोटू लाल जाट के नाम से जारी किये गये पट्टा संख्या 26 दिनांक 12.07.2017 के सम्बन्ध में जॉच से पाया गया कि ग्राम पंचायत पासंल के तत्कालिन सचिव श्री श्याम लाल जोशी का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत पासंल से पंचायत समिति सुवाणा हो जाने पर श्री श्याम लाल जोशी तत्कालिन सचिव द्वारा दिनांक 26.10.2017 को श्री जय किशन पारीक कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पांसल को चार्ज दिया था, चार्जलिस्ट में क्रम 92 पर पट्टा बुक संख्या 219 में पट्टा संख्या 26 से 50 तक खाली चार्ज में दिया गया था। इस प्रकार श्रीमति टीना पत्नी श्री छोटू लाल जाट को जारी किया गया पट्टा 26 जो चार्ज दिये जाने की दिनांक 26.10.2017 को खाली होना पाया गया। चार्जलिस्ट पर सरपंच श्री छोटू लाल जाट के हस्ताक्षर होना पाया गया। इसके अलावा जॉच से पाया गया कि कार्यालय पंचायत समिति सुवाणा के आदेश क्रमांक पंससु/स्था./2018/234 दिनांक 23.04.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत पांसल का चार्ज श्री जय किशन पारीक कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पांसल से श्री पूरण सिंह कार्यवाहक सचिव को देने के निर्देश दिये गये जिस पर पंचायत समिति के उक्त आदेश की पालना में श्री जय किशन पारीक कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पांसल द्वारा श्री पूरण सिंह कार्यवाहक सचिव ग्राम पंचायत पांसल को चार्ज दिया था, चार्जलिस्ट में क्रम 92 पर पट्टा बुक संख्या 219 में पट्टा संख्या 26 से 50 तक खाली चार्ज में दिया गया था। इस प्रकार श्रीमति टीना पत्नी श्री छोटू लाल जाट को जारी किया गया पट्टा संख्या 26 जो चार्ज देने तक खाली होना पाया गया। चार्जलिस्ट पर सरपंच श्री छोटू लाल जाट के हस्ताक्षर होना पाया गया। इस प्रकार सरपंच श्री छोटू लाल जाट ने दिनांक 12.07.2017 को पट्टा जारी करना बताया गया जबकि चार्ज लिस्ट के अनुसार दिनांक 01.05.2018 तक उक्त पट्टा संख्या 26 खाली होना पाया गया। उपलब्ध रिकार्ड एवं जॉच से पाया गया कि सरपंच श्री छोटू लाल जाट एवं श्री पूरण सिंह कार्यवाहक सचिव ग्राम पंचायत पांसल ने आपसी मिली भगत करते हुए दिनांक 12.07.2017 को बेकडेट में फर्जी पट्टा जारी करना पाया गया।

जॉच से पाया गया कि उक्त पट्टा जारी करने से पहले ग्राम सभा की बैठक में निर्णय करवाया जाना आवश्यक होता है, परन्तु उक्त पट्टा जारी करने के लिये ग्राम सभा में निर्णय नही करवाया गया। जॉच से पाया गया कि दिनांक 12.07.2017 को आयोजित ग्राम पंचायत की कोरम के प्रस्ताव संख्या 6 में ग्राम सभा द्वारा अटल सेवा केन्द्र की छत पर टाईल कार्य उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रस्ताव सर्व सम्मती से पारीत किया। उक्त निर्णय के मध्य एक लाईन बेकडेट में लिख कर "मिशल संख्या 151/17–18 को विनियमितिकरण प्रस्ताव पारीत किया गया" अंकित किया गया। इस प्रकार उक्त लाईन बाद में जोड़ा जाना पाया गया। इस प्रकार

जॉच से श्री छोटू लाल जाट सरपंच ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा, श्री पूरण सिंह कार्यवाहक सचिव ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा, ने आपसी मिली भगत करते हुए सरपंच श्री छोटू लाल जाट ने अपनी पत्नी श्रीमती टीना देवी जाट के नाम पर बेकडेट में पट्टा जारी करना पाया गया।

इस प्रकार अब तक की जॉच परिवाद एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पाया गया ग्राम पंचायत पांसल द्वारा श्रीमती टीना पत्नी छोटू लाल जाट के नाम से जारी किया गया पट्टा आबादी भूमि पर जारी नही किया जाकर बिलानाम गैर काबिल कास्त भूमि पर जारी किया गया जो कि ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकारी में नही आता है। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन शुल्क 20 रूपये, मौका निरीक्षण शुल्क 50 रूपये, नक्शा शुल्क राशि 50 रूपये कुल 120/– रूपये पंचायत कोष में जमा नही किये गये जबकी नियमानुसार उक्त राशि जमा होने पर ही ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही करती है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये उक्त पट्टे पर रसीद संख्या 58 राशि 200/– रूपये दिनांक 12.07.2017 का अंकन किया गया जबकी रोकड़बही में रसीद संख्या 58 दिनांक 12.07.2017 श्रीमति कांता देवी पत्नी मनोहर सुवालका के नाम की ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई है। इस प्रकार उक्त पट्टे पर रसीद संख्या 58 का फर्जी अंकन किया गया। श्रीमती टीना पत्नी छोटू लाल जाट को ग्राम पंचायत पांसल द्वारा दिनांक 12.07.2017 को पट्टा जारी करना बताया गया जबकि चार्ज लिस्ट के अनुसार दिनांक 01.05.2018 तक उक्त पट्टा संख्या 26 खाली होना पाया गया। उक्त पट्टे का अनुमोदन ग्राम पंचायत की बैठक में नही करवाया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री छोटू लाल जाट तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा, श्री पूरण सिंह तत्कालिन कार्यवाहक सचिव ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा, द्वारा लाभार्थी श्रीमती टीना देवी जाट से आपसी मिली भगत कर नियम विरूद्ध पट्टा जारी करना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री छोटू लाल जाट तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा, श्री पूरण सिंह तत्कालिन कार्यवाहक सचिव ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा, द्वारा लाभार्थी श्रीमती टीना देवी जाट व अन्य द्वारा धारा 13 (1) (डी) 13 (2) पी सी एक्ट 1988 एंव 467,468,471 व 120 बी भा.द.स. का अपराध करना पाया गया।

इस प्रकार आरोपीगण 1 श्री छोटू लाल जाट पुत्र श्री कालू राम जाट निवासी पासंल तहसील व जिला भीलवाड़ा तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा 2 श्री पूरण सिंह चौहान पुत्र श्री शम्भू सिंह चौहान उम्र 52 साल निवासी 3–एफ–23 पटेल नगर भीलवाड़ा तत्कालिन कार्यवाहक सचिव ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा 3 श्रीमती टीना देवी जाट (लाभार्थी) एवं अन्य के द्वारा धारा 13 (1) (डी) 13 (2) पी सी एक्ट 1988 एंव 467,468,471 व 120 बी भा.द.स. का अपराध करना पाया जाने से एवं वार्ड पंचो की भूमिका के सम्बन्ध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की जावेगी। उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(ब्रजराज सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाड़ा–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री बृजराज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (डी)13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 467, 468, 471, व 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री छोटू लाल जाट पुत्र श्री कालू राम जाट, निवासी पासंल तहसील व जिला भीलवाड़ा, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत पांसल, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ के बिन्दू संख्या 7 पर अंकित अभियुक्तों के क्रम संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 184/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2294-99 दिनांक 13.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला स्थापना समिति, जिला परिषद् भीलवाड़ा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।
6. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परि. 532/18)

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।